

घोषणा

माननीय सदस्यगण,

बिहार विधान सभा के दलीय नेताओं से दिनांक 14 जुलाई, 2011 को अनौपचारिक विमर्श के क्रम में यह सर्वानुमति बनी की लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता वरतना आवश्यक है, इसलिए बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा कर सार्वजनिक करना चाहिए। हम सभी विधायक आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफर्मा में अपने चल-अचल संपत्ति का विवरण नामांकन के समय ही घोषित कर देते हैं।

अतः दलीय नेताओं से विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि माननीय सदस्यगण अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को सभा सचिवालय को निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये प्रोफर्मा में उपलब्ध करायेंगे। यह व्यवस्था 31 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी होगा, क्योंकि माननीय सदस्य नवम्बर, 2010 के निर्वाचन में नामांकन के समय ही यह व्यौरा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा चुके हैं।

बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट (www.vidhansabha.bih.nic.in) पर निर्वाचन आयोग का संबंधित प्रोफर्मा उपलब्ध है। साथ ही माननीय सदस्यों से सभा सचिवालय को प्राप्त व्यौरा भी अंकित रहेगा।

आशा है आप सभी माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग प्राप्त होगा।

घोषणा

बिहार विधान सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा दल का जनता दल (यूनाईटेड) में विलय हो गया है ।

पंचदश बिहार विधान सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के एक मात्र सदस्य, श्री सुमित कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-243 चकाई) को जनता दल (यूनाईटेड) के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

घोषणा

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के तीन माननीय सदस्यों में से दो माननीय सदस्य डा० प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-205, भभुआ एवं श्री नौशाद आलम, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-53, ठाकुरगंज के जनता दल (यूनाईटेड) में विलय के अनुरोध पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा-4 के अधीन जनता दल (यूनाईटेड) में विलय की मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब डा० प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री नौशाद आलम, स०वि०स० जनता दल (यूनाईटेड) के सदस्य हैं।

.....